न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 232 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/247)
पंजीयन दिनांक– 23.04.2021
निर्णय दिनांक– 29.10.2021

1. श्री गटु पिता रूपा कटारा मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।
2. श्री जीवण पिता बदा डामोर मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।
3. श्री जीवतराम पिता देवेन्द्र कटारा मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।
4. श्री कांतीलाल पिता रामजी कटारा मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।
5. श्री लालशंकर पिता शंकरलाल कटरा मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।
6. श्री शंकरलाल पिता मावा डामोर मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।
7. श्री रामचंद्र पिता भाणा डामोर मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।
8. श्री गजेन्द्र पिता गोमाजी कटारा मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।
9. श्री गोपालपुरी पिता रामपुरी कटारा मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।
10. श्री गौतमलाल पिता अरजण कटारा मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।
11. श्री शंकरलाल पिता अमरा डामोर मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।

12. श्री भंवरलाल पिता अमरा कटारा मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।
13. श्री देवा पिता थावरा कटारा मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।
14. श्री हाकरचंद पिता हुजा कटारा मीणा, निवासी गडामालजी, पटवार हल्का गडामोरैया, तहसील व जिला डूंगरपुर।

—अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर।
6. ग्राम पंचायत खेमारू जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खेमारू, पंचायत समिति, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर।

—रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः—

1. श्री मनीष शर्मा — अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री मुरलीधर पालीवाल — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1,3,5
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा—75 भू—राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर के आदेश क्रमांकः— राजस्व/भूमि आवंटन/2020/3261—66 दिनांक 23.07.2021

निर्णय

दिनांक 29.10.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर के आदेश क्रमांकः– राजस्व/भूमि आवंटन/2020/3261–66 दिनांक 23.07.2021 के विरूद्ध दिनांक 23.04.2021 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गडामालजी की आराजी संख्या 119 में से पूर्व में ही रकबा 10.00 बीघा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गडामोरैया के भवन निमार्ण एंव खेल मैदान हेतु आवंटित कर दी गई है, जिसका नवीन खसरा 119/2 रकाब 10 बीघा कायम हुआ है। इसी आराजी संख्या 119 में राजकीय भवन, निवास एवं अन्य राजकीय प्रयोजनों हेतु रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि आरक्षित की गई है, जिसकी नवीन आराजी संख्या 119/1 रकबा 5–05 बीघा कायम हुआ है। यह भूमि ग्राम गडामालजी के सार्वजनिक एवं राजकीय प्रयोजनों हेतु आरक्षित करवाई गई थी किन्तु इसमें ग्राम पंचायत खेमारू के पंचायत घर, अटल सेवा केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र इत्यादि के भवन निमार्ण हेतु रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश क्रमांकः– राजस्व/भूमि आवंटन/2020/3261–66 दिनांक 23.07.2021 से आवंटित कर दी है जिसकी नवीन आराजी संख्या 119/3 कायम हुआ है। ग्राम पंचायत खेमारू को पंचायत घर, अटल सेवा केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र इत्यादि हेतु काफी बिलनाम भूमि उपलब्ध होने के उपरांत भी सरपंच ग्राम पंचायत खेमारू द्वारा ग्रामीणों के आम हितों को नजरअंदाज करते हुए ग्राम पंचायत खेमारू के बजाय ग्राम गडामालजी में भूमि आवंटित करवा दी गई, जिससे ग्राम गडामलजी के निवसीयान व्यथित, परेशान, असंतुष्ट एवं अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 व 5 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 2, 4 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 25.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांटस् ग्राम गडामालजी के मूल निवासी होकर अ. ज. जा. के सदस्य है तथा वे अपने ग्राम के विकास में एवं भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उचित भूमि की उपलब्धता सहित ग्राम की मूलभूत सुविधाओं का सृजन एवं ग्राम के सर्वांगिण विकास में रूचि रखते है। ग्राम गडामालजी की पूर्व में जनसंख्या करीब 2250 होने से तथा नवीन ग्राम पंचायत के गठन हेतु न्यूनतम 2500 की जनसंख्या की आवश्यकता होने के कारण मात्र 250 की जनसंख्या की कमी होने से उसे ग्राम खेमारू में सम्मिलित कर नवीन ग्राम पंचायत खेमारू का गठन किया गया। वर्तमान में ग्राम गडामालजी को ग्राम पंचायत बनाये जाने हेतु सभी अर्हताए पूर्ण करता है। ग्राम पंचायत, खेमारू ग्राम खेमारू के पास भूमि उपलब्ध होने के उपरांत भी ग्राम गडामालजी में प्रावधानों की अनदेखी करते हुए भूमि का आवंटन किया गया है, जिससे भविष्य में विसंगति उत्पन्न होने के संभावना है। ग्राम खेमारू में स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय की विशाल राजकीय भूमि उपलब्ध है, जिसमें ग्राम पंचायत, खेमारू हेतु स्वीकृत राजकीय भवनों का निर्माण कराया जाना तथा भविष्य में निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का आवंटन/आरक्षण कराया जाना न्यायसंगत है। ग्राम गडामालजी की आराजी नम्बर 119 एवं इसमें आरक्षित भूमि आराजी नम्बर 119/1 एवं 119/ सहित आवंटित भूमि आराजी संख्या 119/3 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा की अत्यन्त आवश्यकता रहेगी, चूंकि ग्राम में इसके अलावा अन्य उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही है। इस आवंटित भूमि के संबंध में सुनवाई

नही की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाने एवं अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही होने से धारा 96 अपील पेश करने की अनुज्ञा के साथ अपील अपीलांट स्वीकर किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा दिनांक 23.07.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.07.2020 की पूर्व जानकारी अपीलाण्ट को होना प्रमाणित नहीं है, तद्नुसार उसके द्वारा दिये गये दफा 5 मयाद अधिनियम के आवेदन के कारण निर्णय दिनांक 23.07.2020 की अपील इस न्यायालय में 23.04.2021 में प्रस्तुत करने के कारण मयाद कण्डोन की जाती है।

प्रकरण में अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे एवं बिना अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार हुए उन्होंने अपील प्रस्तुत करने के लिए दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण गडामालजी के जनजातीय परिवारों एवं पहाड़ी क्षेत्र के निवासी है तथा अपने ग्राम के सर्वांगीण विकास में रूचि रखते है तथा ग्राम के विकास एवं भविष्य की आवश्यकताओं हेतु अपने अधिकार के संरक्षण हेतु सजग है। ग्राम गडामालजी की आबादी वर्तमान में करीब 2500 पार कर चुकी है तथा निकट भविष्य में उसे ग्राम पंचायत मुख्यालय का दर्जा प्राप्त होने की पूर्ण आशा है। ग्राम गडामालजी स्थित आराजी सं0 119 की बिलानाम भूमि ग्राम के विकास, भविष्य में निर्मित होने वाले भवनों हेतु उपयुक्त एवं सुरक्षित भूमि है। इसमें से 5.05 बीघा भूमि भावी विकास एवं निर्माण के दृष्टिकोण से आरक्षित भी करवायी गयी है। जिससे इसके नवीन नं0 119/1 कायम हुए। इसमें से अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर द्वारा 2.05 बीघा भूमि अन्य ग्राम खेमारू के भवन निर्माण हेतु आवंटित करने से न्यायालय

आप में अपील प्रस्तुत की गयी है जो विसंगतिपूर्ण है। इससे भविष्य में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे इस भूमि को संरक्षण किया जाना आवश्यक है।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये उक्त आवेदन व अपील मेमों के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि ग्राम पंचायत, खेमारू के पंचायत घर, अटल सेवा केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र एवं अन्य राजकीय भवन निर्माण हेतु उसी पंचायत खेमारू के ग्राम गडामालजी में आरक्षित भूमि 119/1 रकबा 5.05 बीघा में से 2.05 बीघा दिनांक 23.07.2021 को आवंटित की गयी है। सामान्यतया किसी पंचायत के पंचायत घर, अटल सेवा केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र एवं अन्य राजकीय भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही किया जाता है परन्तु इस प्रकरण में ग्राम गडामालजी में ग्राम पंचायत खेमारू के लिए पंचायत घर, अटल सेवा केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र एवं अन्य राजकीय भवनों के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम गडामालजी ग्राम पंचायत खेमारू का बड़ा गांव है। यदि किसी पंचायत क्षेत्र के विभिन्न गांवों में से पंचायत मुख्यालय के अतिरिक्त किसी भी ग्राम में पंचायत घर, अटल सेवा केन्द्र, किसान सेवा केन्द्र एवं अन्य राजकीय भवन बने तो जिस गांव में उक्त भवन बनने के लिए भूमियां आरक्षित हो रही है, उनके व्यथित होने का कोई आधार ही नहीं है क्योंकि यदि यह भवन पंचायत मुख्यालय के स्थान पर उनके गांव में बनते हैं तो निसंदेह उनके लिए अधिक सुविधाजनक रहेगा एवं साथ ही जैसाकि अपीलाण्ट यह कहते हैं कि भविष्य में उनके ग्राम की आबादी के दृष्टिगत उनका ग्राम भी पंचायत बन जाएगा, तो ऐसी स्थिति में खेमारू एक प्रथक ग्राम पंचायत हो जाएगी जिसके लिए ग्राम गडामालजी जो कि उस पंचायत में नहीं रहेगा, उसके भवनों को उपयोगी माने जाने की कोई तार्किकता नहीं रहेगी एवं तद्नुसार यदि ग्राम गडामालजी पंचायत बनेगी तो उसके लिए तत्काल उक्त भवन जो बने हुए हैं, वे ही उपयोगी हो जायेंगे।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत यह आवेदन जो कि ग्राम गडामालजी/गड़ामोरैया के ग्रामवासियों द्वारा ही ग्राम पंचायत, खेमारू के ही

निवासी है एवं खेमारू के जो भवन उनके ग्राम में बन रहे हैं, उनसे उनका हितबद्ध अथवा व्यथित होने की तार्किकता समझ में नहीं आती एवं न्यायालय तो यह मानता है कि उनके ग्राम में यह भूमि आवंटन उनके लिए अधिक सुविधाजनक होगी। हम यह पाते हैं कि ग्राम पंचायत, खेमारू में यह ग्राम गडामालजी भी शामिल है तो इस ग्राम के ग्राम पंचायत के पंच भी पंचायत खेमारू में शामिल होंगे एवं ग्राम पंचायत, खेमारू द्वारा इस बाबत् दिनांक 15.06.2020 को प्रस्ताव भी लिया गया है जो प्रस्ताव संख्या 4 सर्वसम्मति से लिया जाना प्रकट होता है, तद्नुसार यदि उक्त आवंटन से यदि ग्राम पंचायत गडामालजी/गड़ामोरैया के जन प्रतिनिधि रूष्ठ होते तो निसंदेह वे उक्त पंचायत के प्रस्ताव का विरोध करते, जबकि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपीलाण्ट को कदापि आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार उक्त आवंटन से नहीं पाते, तद्नुसार अपीलाण्ट का दफा 96 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जाता है। दफा 96 जा.दी. का आवेदन खारिज होने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर